




सम्भा मानवीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्रालियर सर्किं कोर्ट रीवा.



Rs 3

- R 5434-II(16) - १- रामजीवन यादव तनय स्व० दशरथ यादव उम्र 65 साल,
 २- ददनिया उर्फ़ ददानी यादव तनय स्व० दशरथ यादव उम्र 55 साल,
 ३- बाबूलाल यादव तनय स्व० बोडई यादव उम्र 50 साल,
 ४- लल्लू यादव तनय स्व० बोडई यादव उम्र 40 साल,
 ५- अवैश्व यादव तनय स्व० बृज्यासी यादव उम्र 55 साल,
 ६- मुन्ना यादव तनय स्व० बृज्यासी यादव उम्र 45 साल,
 ७- लल्लू यादव तनय स्व० बृज्यासी यादव उम्र 42 साल,
 ८- शंकर यादव तनय स्व० गलबलिया उर्फ़ गलबाली यादव उम्र 35 साल,
 — सभी निवासी ग्राम महरहा तहसील सेमरिया जिला रीवा
 म०प्र० — आवेदक गण ।

बनाम

गोवूल यादव तनय स्व० छतर्धारी उर्फ़ छहारो यादव साकिं महरहा तहसील -
 सेमरिया जिला रीवा म०प्र० — अनावेदक ।

अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह
 दाम प्रभुत | 27.9.16
 दाम प्रभुत अफ़ कोर्ट
 राजस्व मण्डल म०प्र० ग्राम
 (सर्किं कोर्ट) रीवा

निगरानी विरक्त आदेश व पुष्टिकरण सीमांक
 कार्यवाही राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया तह-
 सील सेमरिया जिला रीवा म०प्र० दिनांक -
 30-07-16 जरिए प्र०क्र० 43।। 12/2015-16
 बावत भूमि खंडा नं० 16/6 रक्षा 0-688 है०
 स्थित ग्राम महरहा ज०नं० 464 पट०ह० बुंसोल
 तहसील सेमरिया जिला रीवा म०प्र० ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भ०र 105 हिता।

मान्यवर,

निगरानी धाचिका के आधार निम्नलिखित है :-

1- प्रह्लिक राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया द्वारा दिनांक 30-07-16 को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 5434-दो/16

जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
6-02-17	<p>आवेदक अभिभाषक श्री जीतेन्द्र सिंह को ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30-7-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी कास्ताकारों को सूचना जारी करने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया है। आवेदकगण के सूचना पत्र एवं स्थाल पंचनामा पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित है। स्पष्ट है कि आवेदकगण को उक्त सीमांकन की जानकारी थी तथा उनकी उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की गई है। जहां तक आवेदकगण द्वारा एकपक्षीय रूप से बंटवारा आदेश होने के पश्चात नक्शा तर्मीम कराने के तर्क का प्रश्न है आवेदकगण उक्त आदेशों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। बटवारा एवं नक्शा तर्मीम में</p>	

प्रकरण क्रमांक निग0 5434-दो/16

पारित आदेशों को सीमांकन में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सरहदी कास्तकारों को सूचना देने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया जिसमें प्रथमदृष्ट्या कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30-7-16 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।


(एस०एस० अली)
सदस्य

✓